"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 228] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 22 सितम्बर 2005 — भाद्र 31, शक 1927

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग
महानदी खंड, मंत्रालय परिसर, रायपुर

रायपुर, दिनांक 16 सितम्बर 2005

आदेश

क्रमांक/ एफ-33-1/दो-17/प.सु./2005.— सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा-5 (1) के अंतर्गत श्री एस. के. तिवारी, अवर सचिव को छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग का जन सूचना अधिकारी नियुक्त किया जाता है. वे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में वर्णित जन सूचना अधिकारी के कर्तव्यों का पालन करेंगे.

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,
ओंकार सिंह, सचिव

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित -2005.